

09.01.18

पत्रां पेश हुई। प्रतिबन्धी गिरजि ने प्राथमिक  
पत्र मय रजिस्ट्री दिनांक-27.12.17 पेश की।  
पत्रावली में बार-बार धारा 147 लगाई गई  
किन्तु वादी असाक्षर या अकालतन उपस्थित  
नहीं था। अतः धारा 147 अदम दायरी व अदम  
चैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फॉसलशुमार होकर नंबर से  
क्रम हो स्वै वर तकमील जमा जिला अभिलेखागार  
है।

सहायक कलेक्टर  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी (स०मा०)